न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 151/2023   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/222**
दायर दिनांक :— 04.10.2023   **निर्णय दिनांक :— 22.11.2024**

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. पूजाकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. अनिता कंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुआ कंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
5. अशोकसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
7. विजयसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. दौलतकंवर पुत्री गंगूसिंह जाति राजपूत निवासी भानीडा तहसील चुरू जिला चुरू
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः— 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम बारू तहसील बाप स्कित खसरा नम्बर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर काश्त भूमि वादीगण व अन्य सह खातेदारान के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों की है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादगस्त भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 1255/2 रकबा 109—17 बीघा के रूप में वादीण संख्या 1 ता 3 के दादा व वादीगण संख्या 5 से 7 के पिता श्री भूरसिंह पुत्र श्री शिवदानसिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज रही थी और कब्जा काश्त पहले भूरसिंह का और वर्तमान में भूरसिंह से विरासत में प्राप्त वर्तमान में वादीगण के खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की है यहां पर यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत खाता एकीकरण किये जाने के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है। वादीगण संख्या 1 ता 3 के दादा, वादीगण संख्या 5 के पिता श्री भूरसिंह ने अपने जीवनकाल में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपने बंट के खेत खसरा नम्बर 1255/2 रकबा 109-17 बीघा भूमि या उसका कोई हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी को विक्रय नहीं किया प्रतिवादी संख्या 1 का तिप गंगूसिंह पढा लिखा व्यक्ति और परिवार का रिशतेदार था एवं ज्यादातर ग्राम बारू में आता जाता रहता था भूरसिंह अनपढ व्यक्ति थे मात्र हस्ताक्षर करना जानते थे और वे अपने पेपर मील में नौकरी के कारण गांव बारू से बहुत दूर अन्य राज्य में निवास करते थे दिनांक 21.02.1985 को भूरसिंह आन्धप्रदेश प्रापत में पेपरमील में कार्यरत थे गंगूसिंह पुत्र मुकनसिंह ने दिनांक 21.02.1985 को भूरसिंह के खातेदारी अधिकारों के खेत खसरा नम्बर 1255/2 रकबा 109-17 बीघा से रकबा 50-00 बीघा भूमि का एक विक्रय विलेख अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूरसिंह के स्थान पर सिी अन्य व्यक्ति को भूरसिंह के रूप में उप पंजीयक फलोदी के सामने उपस्थित करवाकर 50-00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत तरीके से पंजीयन करवा लिया भूरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कृषि भूमि विक्रय नहीं की है और न ही कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया और न ही कोई विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पंजीकृत ही करवाया है भूरसिंह के अन्य दस्तावेजों पर उसके द्वारा की गयी हस्ताक्षरों से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम शून्य विक्रय विलेख पर अन्य व्यक्ति द्वारा भूरसिंह के किये गये हस्ताक्षर बिल्कुल मेल नहीं खाते है इससे विक्रय विलेख दिनांक 21.02.1985 एक शून्य दस्तावेज है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि काहवत चरितार्थ होती है कि चोर चोरी करता है लेकिन सबूत छोड़ देता है विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1985 के मुख पृष्ठ पर बतौर विक्रेता किसी के हस्ताक्षर नहीं होने से विक्रय विलेख भूरसिंह द्वारा निष्पादित नहीं किया जाना साबित है। भूरसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दिनांक 21.02.1985 को अपने खातेदारी अधिकारों की रकबा 50-00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करवाया था उक्त विक्रय पत्र भूरसिंह के स्थान पर किसी अन्य वयक्ति द्वारा भूरसिंह के रूप में उपस्थित होकर पंजीयन करवाने से उक्त विक्रय पत्र वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व एक शून्य दस्तावेज है जिसे वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्व प्रभावहीन करार करवाने के अधिकारी है। विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1985 जो कि एक शून्य दस्तावेज है के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अवैद्य व अनुचित तरीके से स्वीकृत किया जाने से नामान्तरकरण संख्या 753 को वादीगण के अन्य अधिकारों के तहत अवैद्य घोषित करवाकर निरस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है। जिस हेतु यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि वादीगण अपने वाद को सक्षम साक्ष्य से साबित करे। उक्त वाद का निर्णय प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर किया जाता है कोई एतराज नहीं है इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 6 के

उपखण्ड अधिकारी / असिस्टेंट कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बयान पी.डब्लू–1 एवं पड़ोसी खातेदारी शैतानसिंह के बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम बारू तहसील बाप स्थित खसरा नम्बर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर काश्त भूमि वादीगण व अन्य सह खातेदारान के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों की है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादगस्त भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 1255/2 रकबा 109–17 बीघा के रूप में वादीण संख्या 1 ता 3 के दादा व वादीगण संख्या 5 से 7 के पिता श्री भूरसिंह पुत्र श्री शिवदानसिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज रही थी और कब्जा काश्त पहले भूरसिंह का और वर्तमान में भूरसिंह से विरासत में प्राप्त वर्तमान में वादीगण के खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की है यहां पर यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत खाता एकीकरण किये जाने के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है। वादीगण संख्या 1 ता 3 के दादा, वादीगण संख्या 5 के पिता श्री भूरसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने बंट के खेत खसरा नम्बर 1255/2 रकबा 109–17 बीघा भूमि या उसका कोई हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी को विक्रय नहीं किया प्रतिवादी संख्या 1 का तिप गंगूसिंह पढा लिखा व्यक्ति और परिवार का रिशतेदार था एवं ज्यादातर ग्राम बारू में आता जाता रहता था भूरसिंह अनपढ व्यक्ति थे मात्र हस्ताक्षर करना जानते थे और वे अपने पेपर मील में नौकरी के कारण गांव बारू से बहुत दूर अन्य राज्य में निवास करते थे दिनांक 21.02.1985 को भूरसिंह आन्धप्रदेश प्रापत में पेपरमील में कार्यरत थे गंगूसिंह पुत्र मुकनसिंह ने दिनांक 21.02.1985 को भूरसिंह के खातेदारी अधिकारों के खेत खसरा नम्बर 1255/2 रकबा 109–17 बीघा से रकबा 50–00 बीघा भूमि का एक विक्रय विलेख अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूरसिंह के स्थान पर सिी अन्य व्यक्ति को भूरसिंह के रूप में उप पंजीयक फलोदी के सामने उपस्थित करवाकर 50–00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत तरीके से पंजीयन करवा लिया भूरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कृषि भूमि विक्रय नहीं की है और न ही कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया और न ही कोई विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पंजीकृत ही करवाया है भूरसिंह के अन्य दस्तावेजों पर उसके द्वारा की गयी हस्ताक्षरों से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम शून्य विक्रय विलेख पर अन्य व्यक्ति द्वारा भूरसिंह के किये गये हस्ताक्षर बिल्कुल मेल नहीं खाते है इससे विक्रय विलेख दिनांक 21.02.1985 एक शून्य दस्तावेज है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि काहवत चरितार्थ होती है कि चोर चोरी करता है लेकिन सबूत छोड़ देता है विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1985 के मुख पृष्ठ पर बतौर विक्रेता किसी के हस्ताक्षर नहीं होने से विक्रय विलेख भूरसिंह द्वारा निष्पादित नहीं किया जाना साबित है। भूरसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दिनांक 21.02.1985 को अपने खातेदारी अधिकारों की रकबा 50–00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करवाया था उक्त विक्रय पत्र भूरसिंह के स्थान पर किसी अन्य वयक्ति द्वारा

उपखण्ड कलक्टर
बाप (फलोदी)

भूरसिंह के रूप में उपस्थित होकर पंजीयन करवाने से उक्त विक्रय पत्र वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध एक शून्य दस्तावेज है जिसे वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन करार करवाने के अधिकारी है। विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1985 जो कि एक शून्य दस्तावेज है के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अवैद्य व अनुचित तरीके से स्वीकृत किया जाने से नामान्तरकरण संख्या 753 को वादीगण के अन्य अधिकारों के तहत अवैद्य घोषित करवाकर निरस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये विक्रय विलेख के नामान्तरकरण संख्या 753 मौजा बारू दर्ज की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1255 रकबा 57.6919 हैक्टेयर भूमि में 125/891 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर कब्जा काश्त वादीगण का होना बताया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि विक्रय विलेख के जरिये क्रय की है। वाद पत्र के संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1985 किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। वादीगण ने अपने वाद को साबित किये जाने हेतु पर्याप्त दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। वादीगण का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. पूजाकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. अनिता कंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुआ कंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
5. अशोकसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
7. विजयसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. दौलतकंवर पुत्री गंगूसिंह जाति राजपूत निवासी भानीडा तहसील चुरू जिला चुरू
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 151/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।